



केन्द्रीय मुहर विभाग - III

हमारा संदर्भ- केन्द्रीय मुहर विभाग-३/१६: भा.मा. 8034

31 जुलाई 2024

विषय: भा.मा.8034: 2018 में संशोधन संख्या 2

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि भा.मा. 8034: 2018 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है। संशोधन online उपलब्ध है। भा.मा. 8034: 2018 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि 05 जून 2025 है। सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों से आग्रह है कि भा.मा. 8034: 2018 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें।

(राकेश कुमार)
वैज्ञानिक 'डी'/संयुक्त निदेशक (के मु वि III)

प्रमुख (के मु वि III)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-III

Our Ref: CMD-3/16: IS 8034

31 July 2024

Subject: Amendment No. 2 to Indian Standard IS 8034: 2018 – “Submersible Pump Sets”

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to Indian Standard **8034: 2018-“Submersible Pump Sets”** has been published. Amendment is available online. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to Indian Standard IS 8034: 2018 is 05 June 2025. All licensee manufacturers/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment.

(Rakesh Kumar)
Scientist D/Joint Director (CMD III)

Head (CMD - III)

Circulated to: All licensees/applicants
Copy to : BIS Branch Offices